न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 111/2019

1. नूरमौहम्मद पुत्र मेद सिंह
2. अब्दुल पुत्र मेद सिंह (मृत्तक)
   - 2/1 जुबेदा पत्नि अब्दुल रहमान
   - 2/2 इदरीश
   - 2/3 अरसद
   - 2/4 तल्हा पिसरान अब्दुल रहमान
   - 2/5 सुरैया
   - 2/6 आसिया
   - 2/7 माफिया पुत्रीयान अब्दुलरहमान जाति मेव निवासी ग्राम पापडा तहसील पहाडी
   - 2/8 इरफान पुत्र अब्दुल रहमान नाबालिग जरिय वली सरपस्त माता खुद स्वयं जुबेदा पत्नी अब्दुल रहमान जाति मेव निवासी ग्राम पापडा तहसील पहाडी
3. जाकिर
4. फारूख
5. साहून पिसरान नूरदीन नवीरा मेदसिंह जाति मेव निवासी ग्राम पापडा तहसील पहाडी

वादीगण

बनाम

श्रीमती उसमानी पत्नी उमरदीन जाति मेव निवासी ग्राम पापडा तहसील पहाडी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील पहाडी (भरतपुर)

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री नसरू खां वकील वादीगण

दिनांक :– 09/05/2024

निर्णय

वादीगण द्वारा यह दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88,89, 188 आर0टी0 एक्ट इस आशय के साथ पेश किया कि वादी संख्या 1 व 2 के पिता तथा वादी संख्या 3,4,5 के दादा मेद सिंह के चार पुत्र थे वादी संख्या 1 व 2 के अलावा मेद सिंह के दो पुत्र सरदार मौहम्मद व नूरदीन की मृत्यु हो चुकी है और सरदार मौहम्मद के एक पुत्र जाविद उर्फ जावेद था जिसकी भी मृत्यु लाबल्द बिला औरत दिनांक 20/09/2011 को गोपालगढ गोलीकाण्ड में गोली लगने से दौराने ईलाज एस0एम0एस0 अस्पताल जयपुर में मृत्यु हो गई। व नूरदीन के वादी संख्या 3,4,5 पुत्र है जो फरीक मुकदमा है ग्राम पापडा में आराजी खसरा नम्बर 194 मिन/0.36, 417/0.56, 425/0.82, 766/0.31,कुल

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

किता–4 रकबा 2.05 हैक्टर बांके ग्राम पापडा तहसील पहाडी में स्थित है। जो वादीगण के बुजुर्गान मेद सिंह की खातेदारी की आराजी थी जो उसकी मृत्यु के पश्चात उनके वारिसान नूर मौहम्मद, अब्दुल रहमान, सरदार मौहम्मद, नूरदीन को विरासतन प्राप्त हुई और नूरदीन की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रगण वादीगण संख्या 3,4,5 को उसका हिस्सा विरासतन प्राप्त हुआ और इसी कदर सरदार मौहम्मद की मृत्यु व उसके पुत्र स्व0 जाविद उर्फ जावेद को विरासतन प्राप्त हुई परन्तु सरदार मौहम्मद की मृत्यु के बाद जाविद उर्फ जावेद की उम्र लगभग 4 वर्ष की थी और उसकी माता उसमानी प्रतिवादी संख्या 1 ने गैरकानूनी तरीके पर छल व फरेब से सरदार मौहम्मद मृत्यु के पश्चात खुले विरासतन दाखिल खारिज में अपने पुत्र जाविद उर्फ जावेद के साथ अपना नाम भी सरदार मौहम्मद के हिस्सा 1/4 पर वाहिस्सा बराबर दाखिल खारिज स्वीकृत करा लिया सरदार मौहम्मद की मृत्यु सन् 1984 में हुई थी प्रतिवादनी संख्या 1 उसमानी ने शेरमौहम्मद की मृत्यु के कुछ समय पश्चात पुत्र जाविद उर्फ जावेद का लावारिस हालत में ही छोडते हुये ग्राम के ही उमरदीन उर्फ पप्पू जाति मेव निवासी पापडा तहसील पहाडी से निकाह कर लिया और उमरदीन उर्फ पप्पू के साथ ही वहैसियत पत्नी रहने लगी और जाविद उर्फ जावेद का लालन पालन वादीगण ने ही किया और वादीगण ने अपनी संरक्षकता में रहते हुये जाविद उर्फ जावेद का निकाह (शादी) वारिसा पुत्री हाजर खां निवासी तेड से कराई और वादीगण ने ही विवादित आराजी खसरा नम्बर वर्णित मद नं0 3 वाद पत्र में से मृत्तक सरदार मौहम्मद हिस्से पर जो प्रतिवादी संख्या 1 उसमानी ने पुत्र स्व0 जाविद उर्फ जावेद के शरीक जो दाखिल खारिज अपने नाम खुलवाया था उस हिस्सा की कृषि भूमि का वापिस बयनामा स्व0 जाविद उर्फ जावेद पुत्र सरदार मौहम्मद के नाम वादीगण ने ही तहरीर करवाकर तस्दीक कराया और उसमें समस्त खर्चे का वहन वादीगण ने ही किया और वर्तमान में कृषि भूमि 1/4 हिस्सा पर स्व0 जाविद उर्फ जावेद पुत्र सरदार मौहम्मद का नाम राजस्व रिकॉर्ड में चला आ रहा है वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 जाति मेव (मुसलमान) है और सरियत विधि 1937 से शासित है और सरियत विधि की धारा 2 के अनुसार कृषि भूमि की विरासतन के संबन्ध में चले आ रहे रीति रिवाजों को मान्य करते हुये पूर्व प्रथा अनुसार कृषि भूमि के संबंध में एक महिला को किसी भी रूप में यानि माँ,बहिन, पुत्री,के रूप में विरासतन अधिकार नहीं होने की कानूनी मान्यता प्राप्त है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र जाविद उर्फ जावेद के पूर्वजों ने काफी अर्सा पूर्व हिन्दू धर्म से मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था परन्तु कृषि भूमि के संबन्ध में शरियत विधि 1937 से पूर्व से ही ऐन्सियेन्ट हिन्दू लॉ की प्रथा अनुसार कृषि भूमि पर महिला को यानि माँ,बहिन, पत्नि पुत्री के रूप में खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते रहे है। वादीगण के बुजुर्गान मेदसिंह के पिता की मृत्यु और ना ही मेदसिंह की मृत्यु पर उसकी माता पत्नि बहिन अथवा पुत्री के नाम पुरूष सदस्यो के शरीक दाखिल खारिज स्वीकृत नहीं किया गया था। अब भी वादी संख्या 3,4,5 के पिता नूरदीन की मृत्यु नूरदीन की विधवा अथवा उसकी पुत्रीया का नाम भी वादी संख्या 3,4,5 के शरीक दाखिल खारिज में नहीं खोला गया था उक्त सभी तत्वों से स्पष्ट है कि वादीगण के परिवार में कभी भी कृषि भूमि में महिला को खातेदारी अधिकार विरासतन प्राप्त नहीं होते रहे है और आज भी पूर्व से चली आ रही रिवाज व प्रथा अनुसार कानूनन वादीगण के परिवार में महिलाओ को विरासतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का हक हासिल नहीं है और यह प्रथा अनवरत चालू है। विवादित आराजी विवादित मृत्तक जाविद उर्फ जावेद सहित वादीगण के संयुक्त कब्जेकाश्त खातेदारी में चली आ रही है और जाविद उर्फ जावेद की मृत्यु के पश्चात उसके हिस्से पर भी वादीगण संख्या 1 व 2 हिस्सा 1/3–1/3 व वादीगण संख्या 3,4,5

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

वाहिस्सा बराबर 1/3 पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है और मृत्तक जाविद उर्फ जावेद के स्थान पर विरासतन अपने नाम दाखिल खारिज दर्ज करा पाने के अधिकारी है। इस संबन्ध में वादीगण ने प्रार्थना पत्र दिनांक 30/07/2015 को हल्का पटवारी पापडा को प्रस्तुत किया तो पटवारी हल्का ने वादीगण से प्रार्थना पत्र लेने से इंकार कर दिया और कहा कि जाविद उर्फ जावेद की माता श्रीमती उसमानी ने मुझे अपने नाम दाखिल खारिज खोलने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। इसलिए आप अपने अधिकारो की घोषणा बाबत एस0डी0एम0 पहाडी में दावा कर अपने नाम खातेदार दर्ज करने के आदेश प्राप्त करे तभी आपके नाम मृत्तक जाविद उर्फ जावेद के हिस्से पर दाखिल खारिज खुल सकेगा। यदि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दाखिल खारिज खोला गया तो उससे वादीगण के अधिकारो पर कुठाराघात होगा। विधि वजह वादीगण दावीदार है और अपने आपको आराजी मुतदाविया के 1/4 हिस्सा जो राजस्व रिकॉर्ड में जाविद उर्फ जावेद पुत्र सरदार मौहम्मद के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड चला आ रहा है उस पर अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण को दिनांक 06/10/2015 को ग्राम पापडा ऐलानिया धमकी दी है कि वो जल्द से जल्द आराजी मुतदाविया में जाविद के नाम दर्ज चले आ रहे 1/4 हिस्सा पर अपने नाम दाखिल खारिज खुलवाकर आराजी से वादीगण को जबरन बेदखल कर कब्जा नाजायज करके रहेगी और जल्द से जल्द दीगर व्यक्तियो को रहनवय मुन्तकिल करके रहेगी। यदि प्रतिवादी संख्या 1 अपने धमकी भरे इरादे में कामयाब हो गई तो वादीगण को ऐसी अपरमित क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति जर्रे नकद से कदापि संभव ना हो सकेगी। विधि वजह वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी पाने के अधिकारी है। कि वो आराजी मुतदाविया में दर्ज चले आ रहे हिस्सा जाविद उर्फ जावेद पर अपने नाम दाखिल खारिज ना खुलवाये व राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं करावे व आराजी मुतदाविया से वादीगण को जबरन बेदखल कर कब्जा नाजाइज ना करे । विनाय मुखास्मत दिनांक 30/07/2015 को पटवारी हल्का द्वारा वादीगण के हक में मृत्तक जाविद उर्फ जावेद के हिस्सा पर दाखिल खारिज खोलने से इंकार करने व नकल जमाबन्दी लेने पर तथा दोयम प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण को धमकी नाजाइज दिनांक 06/08/2015 को ग्राम पापडा देने से पैदा हुइ। दावा करने से पूर्व धारा 80(2) जा0दी0 के तहत अनुमति प्राप्त करने के बाद वाद पत्र पेश किया जा रहा है। अतः स्व0 जाविद उर्फ जावेद पुत्र सरदार मौहम्मद के नाम दर्ज चले आ रहे हिस्सा 1/4 पर वादी संख्या 1 व 2 को 1/3-1/3 व वादीगण संख्या 3,4,5 को वाहिस्सा बराबर हिस्सा 1/3 पर खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे व वर्तमान में जाविद पुत्र सरदार मौहम्मद के नाम चले आ रहे अंकन को कलमजन फरमाया जावें।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 बाबजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आई उसके विरूद्ध दिनांक 16/03/2021 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0 1 फारूख ,पी0डब्लू0 2 अब्दुल रहमान, पी0डब्लू0 3 ईशव के शपथ पत्र पेश किये।

Scanned with OKEN Scanner

हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया।

दावा वादीगण न्यायहित में डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादीगण डिक्री किया जाता है आराजी खसरा नम्बर 194 मिन/0.36, 417/0.56, 425/0.82, 766/0.31,कुल किता–4 रकबा 2.05 हाल खसरा नम्बर 1204/0.31, 276/0.36, 647/0.56, 662/0.82 किता–4 रकबा 2.05 हैक्टर बांके ग्राम पापडा तहसील पहाडी पर मृत्तक जाविद पुत्र सरदार मौहम्मद जाति मेव निवासी पापडा तहसील पहाडी के नाम को कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2/1 लगायत 2/8 को वाहिस्सा बराबर हिस्सा 1/3 एवं प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 को वाहिस्सा बराबर 1/3 का खातेदार काश्तकर घोषित किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09/05/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner